(ख) और (ग) कोल इंडिया लि० और इसकी सहायक कंपनियों के अनुसार अवैध खनन क्रियाकलापों में उनके अधिकारियों की मिलीभगत होने के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है।

Wholesale coal dealers in Gujarat, Maharashtra and Rajasthan

666. SHRI VITHALBHAI M. PATEL: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) what is the number of wholesale coal dealers in Gujarat, Maharashtra and Rajasthan at present State-wise;

(b) the number out of them who belong to SCs and STs;

(c) whether there is any proposal to appoint more SC/ST and weaker section wholesale coal dealers / agents in these States; and

(d) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA): (a) The number of Whole Sale Traders of coal appointed by Coal India Limited in Rajasthan, Gujarat and Maharashtra are given below:

State	No. of Whole Sale Traders
Rajasthan	12
Gujarat	NIL
Maharashtra	NIL

(b) to (d) The information regarding the number of Whole Sale Traders belonging to SC/ST, out of those appointed in the above States is not available with Coal India Limited since the policy does not provide for any special treatment for any class of persons. However, the Scheme has been made open ended with no last date for receipt of applications. There is also no fixed number of persons to be appointed as whole sale traders. As such all SC/ST applicants who fulfil the criteria as stipulated in the scheme, can be appointed as Whole Sale Traders under the above mentioned scheme.

Revision of rate of royalty

667. CHOWDHRY HARI SINGH: Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether Government have recently constitued any study group to consider afresh the question of revision of the rate of royalty on coal; and

(b) if so, who heads this study group and by when it is likely to submit its report?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COAL (SHRI AJIT KUMAR PANJA): (a) Yes Sir.

(b) The Study Group to consider the question of revision of rates' of royalty on coal has been constituted under the chairmanship of Additional Secretary in the Ministry of Coal. The Group is expected to submit its report by 30th April, 1994.

बहुराष्ट्रिक कम्पनियों को कोयला खानों का सौंपा जाना

668. **श्री सुन्दर सिंह भंडारी:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश में अनेक कोयला खानों को बहुराष्ट्रिक कम्पनियों को सौंपने की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार की इस योजना के विरोध में देश के प्रमुख मजदूर संघों के आह्वान पर हाल में कोयला मजदूरों ने देश व्यापी हड़ताल की थी।

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार इस संबंध में अपनी नीति की समीक्षा करने का विचार रखती है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा): (क) और (ख) जी, नहीं। कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 को दिनांक

9.6.1993 से संशोधित कर दिया गया है जिसके अंतर्गत लौह एवं इस्पात के संबंध में विद्यमान उपबंधों के अतिरिक्त, कोयला खनन क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी की, विद्युत के उत्पादन में ग्रहीत उपभोग के लिए, वाशरियों को स्थापित किए जाने के लिए और अधिसूचित किए जाने वाले अन्य अंतिम प्रयोगों के लिए, अनुमति प्रदान की गई है। इससे विदेशी भागीदारी को भी अनुमति मिल गई है, जोकि खान तथा खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम की शर्तों के अंतर्गत दी गई है। इस नीति के अंतर्गत केवल संभावित क्षेत्रों की पेशकश की गई है और विद्यमान खानों की पेशकश नहीं की गई है।

(ग) से (ङ) दिनांक 17.12.93 को पांच केन्द्रीय मजदूर संघों के प्रतिनिधियों ने यह सूचित किया कि वे अपने दस सूत्रीय मांगों के समर्थन में दिनांक 31.1.1994 को हड़ताल करेंगे। इन मांगों में एक मांग कोयला उद्योग का निजीकरण किए जाने से संबंधित सभी कारवाईयों पर रोक लगाए जाने से संबंधित थी।

किन्तु, मांगों पर विचार-विमर्श किए जाने के बाद सभी मजदूर संघों ने "सीटू" को छोड़कर हड़ताल का नोटिस वापस ले लिया। "सीटू" ने दिनांक 31.1.1994 को सांकेतिक हड़ताल की।

बिहार में कोयले का उत्पादन

669. **श्री एस॰ एस॰ अहलुवालिया:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयले का कुल कितना उत्पादन हुआ तथा उसका वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान कोयला उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य पूरा कर लिया गया था और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार बिहार में कोयला उत्पादन के लक्ष्य स्तर को बनाए रखने के लिए क्या प्रयास कर रही है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजीत कुमार पांजा): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लि॰ के अन्तर्गत बिहार राज्य में स्थित खानों के कोयले के उत्पादन लक्ष्य तथा वास्तविक उत्पादन को नीचे दिया गया है:—

(मिलियन टन में)

कोयला उत्पादन

1990-91		1991-92		1992-93	
लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक	लक्ष्य	वास्तविक
65.63	63.39	65.62	64.84	68.02	66.68

विद्युत की कमी, श्रमिकों की अनुपस्थिति, कानून एवं व्यवस्था की समस्या, झारखंड आन्दोलन आदि के कारण उत्पादन में कमी आई है।

(ग) कोयला का उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाये गये कदमों में निम्न शामिल हैं—नई खानें खोला जाना, विद्यमान खानों का आधुनिकीकरण, अधिकतम परिणाम प्राप्त करने तथा समय पर निवेश एवं अधसंरचनात्मक सुविधायें उपलब्ध कराने की सुनिश्चितता के लिए नई प्रौद्योगिकी का अपनाया जाना।

कोयला कंपनियों में निवेशित धन

670. **चौधरी हरमोहन सिंह:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 30 अक्तूबर, 1993 तक कोयला कंपनियों में कुल कितने धन का निवेश किया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन कंपनियों को कितनी हानि एवं लाभ हुआ है;

(ग) क्या सरकार ने घाटे में चल रही कंपनियों के अधिकारियों के कार्यकरण की समीक्षा की है; और